



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 133/2023

परिवादी :- श्री विरेन्द्र रावत, सुभाषनगर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विरेन्द्र रावत, सुभाषनगर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०-RM11117113167 के संदर्भ में कथन किया गया है कि पिछले दो महीने से हर महीने बिल आ रहे हैं। उनका उक्त संयोजन 02 किलोवाट भार में स्वीकृत है। विभाग द्वारा उनसे फिक्स चार्ज रू० 140.00 लिया जा रहा है, जबकि हर माह बिल के हिसाब से फिक्स चार्ज रू० 70.00 होना चाहिए। अतः मंच से अनुरोध है कि सही फिक्स चार्ज के अनुसार उनका बिल संशोधित करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्री विरेन्द्र रावत उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का उपरोक्त विद्युत संयोजन दिनांक 01.07.2000 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है। परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए जा रहे हैं। परिवादी के बिलों में विपक्षी विभाग द्वारा फिक्स चार्ज की गणना वर्तमान में लागू टेरिफ आर्डर के आधार पर रू० 70.00 प्रति किलोवाट प्रति माह की जा रही है जो कि नियमानुसार सही है। उपाकालि द्वारा दिनांक 01.04.2023 से लागू रेड शिड्यूल के अनुसार फिक्स चार्ज निम्नानुसार निर्धारित है:-

क०सं०	स्वीकृत भार	फिक्स चार्ज
1	01 किलोवाट तक	रू० 60.00 / किलोवाट / माह
2	01 किलोवाट से अधिक-04 किलोवाट तक	रू० 70.00 / किलोवाट / माह
3	04 किलोवाट से अधिक	रू० 80.00 / किलोवाट / माह

क्रमशः.....02

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवादी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा उनके 02 किलोवाट के विद्युत संयोजन पर जारी बिलों में फिक्स चार्ज की गणना रू० 140.00 के स्थान पर रू० 70.00 किया जाना चाहिए, सही नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा वर्तमान में लागू रेट शिड्यूल के अनुसार परिवादी के बिलों पर फिक्स चार्ज की गणना रू० 70.00 प्रति किलोवाट प्रतिमाह के आधार पर रू० 140.00 दर्शायी जा रही है, जो कि नियमानुसार सही है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

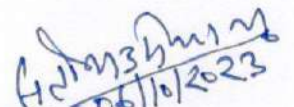
अतः मंच की राय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


06/10/2023

(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


06/10/2023

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 134/2023

परिवादी :- श्री अफजाल, ग्राम-इब्राहिमपुर देह, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अफजाल, ग्राम-इब्राहिमपुर देह, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०-RM22008500930 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल अधिक आ रहा है और मीटर रीडिंग देखने में समस्या आ रही है, जिसके कारण मीटर रीडिंग का बिल बनाने में दिक्कत आ रही है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका मीटर बदलवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्री अफजाल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 09.09.2023 तक लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जिनका भुगतान परिवादी द्वारा समय पर किया जा रहा है। परिवादी के बिलिंग इतिहास से स्पष्ट है कि वर्तमान में भी पूर्व वर्षों के अनुरूप ही परिवादी द्वारा विद्युत का उपभोग किया जा रहा है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर एमयू के बिल जारी किए जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग को मीटर की रीडिंग लेने में कोई समस्या नहीं आ रही है। फिर भी विपक्षी विभाग को परिवादी के परिसर पर स्थापित उक्त मीटर का स्थलीय निरीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार मीटर बदलने की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है।

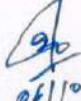
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित उक्त मीटर का स्थलीय निरीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार मीटर बदलने की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

Handwritten signature

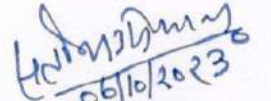
क्रमशः.....02

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के परिसर पर स्थापित उक्त मीटर का स्थलीय निरीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार मीटर बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।


06/10/2023

(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


06/10/2023

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 137 / 2023

परिवादी :- श्री दिलशाद अली, जहूर सफरपुर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दिलशाद अली, जहूर सफरपुर, रुड़की का कनेक्शन नं०-RM21020045447 के संदर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत संयोजन का बिल बहुत अधिक आ रहा है। उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर को चैक करा लिया जाए, जिससे उनका बिल सही हो सके। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन का बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री सावेज उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.06.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जिसका कि परिवादी द्वारा भुगतान किया गया है। दिनांक 03.08.2023 को एनआर आधार पर परिवादी को विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 17.08.2023 को एनआर समाप्त करते हुए एमयू के आधार पर 729 यूनिट का बिल जारी किया गया, जिसमें वर्तमान बिल की धनराशि, पिछले बिल की बकाया धनराशि रू० 1015.00, वर्तमान एलपीएस रू० 24.54 दर्शाते हुए पूर्व में निर्गत एनआर बिल की धनराशि रू० 922.08 का समायोजन दिया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादी के बिलिंग इतिहास से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व वर्षों के अनुरूप ही विद्युत का उपभोग किया जा रहा है। अतः परिवादी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा उन्हें अधिक धनराशि का बिल दिया जा रहा है, सराकर बेबुनियाद एवं निराधार है।

इस प्रकरण में जहां तक परिवादी द्वारा अपने परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की शुद्धता की जांच कराए जाने की बात कही गई है तो परिवादी किसी भी कार्य दिवस में विपक्षी कार्यालय में जाकर चैक

(Signature)

क्रमशः.....02

मीटर लगाए जाने के लिए आवेदन करने के उपरान्त इस संबंध में अपनी शंका का निवारण कर सकता है।

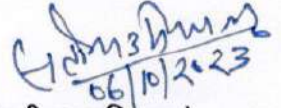
उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर सही बिल जारी किए गए हैं। अतः इस मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


06/10/2023

(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


06/10/2023

(सतीश चुनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 140 / 2023

परिवादी :- श्री मुकेश कुमार, बुद्धपुर, नूरपुर, चौहान, झबरेड़ा, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मुकेश कुमार, बुद्धपुर, नूरपुर, चौहान, झबरेड़ा, रुड़की का कनेक्शन नं०-RM12209124820 के संदर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत संयोजन का बिल बहुत अधिक आ रहा है। विभाग द्वारा वर्तमान में रु० 8000.00 का बिल भेजा गया है जो कि काफी अधिक है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन का बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री मुकेश कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

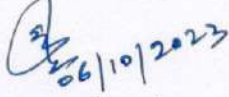
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

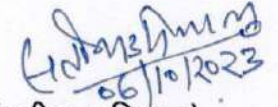
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जिसका कि परिवादी द्वारा भुगतान किया गया है। दिनांक 03.08.2023 को एनआर आधार पर परिवादी को विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 14.08.2023 को एनआर समाप्त करते हुए एमयू के आधार पर 994 यूनिट का बिल जारी किया गया, जिसमें वर्तमान बिल की धनराशि, पिछले बिल की बकाया धनराशि रु० 2470.00, वर्तमान एलपीएस रु० 61.76 दर्शाते हुए पूर्व में निर्गत एनआर बिल की धनराशि रु० 2226.07 का समायोजन दिया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादी के बिलिंग इतिहास से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व वर्षों के अनुरूप ही विद्युत का उपभोग किया जा रहा है। अतः परिवादी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा उन्हें अधिक धनराशि का बिल दिया जा रहा है, सराकर बेबुनियाद एवं निराधार है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर सही बिल जारी किए गए हैं। अतः इस मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 141/2023

परिवादी :- श्री लेखराम, बुद्धपुर, नूरपुर, झबरेड़ा, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री लेखराम, बुद्धपुर, नूरपुर, झबरेड़ा, रुड़की का कनेक्शन नं०- RM12209124812 के संदर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत संयोजन का बिल बहुत अधिक आ रहा है जिससे वह संतुष्ट नहीं हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन का बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अन्तर्गत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री सोहनवीर सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जिसका कि परिवादी द्वारा भुगतान किया गया है। दिनांक 03.08.2023 को एनआर आधार पर परिवादी को विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 14.08.2023 को एनआर समाप्त करते हुए एमयू के आधार पर 748 यूनिट का बिल जारी किया गया, जिसमें वर्तमान बिल की धनराशि, पिछले बिल की बकाया धनराशि रु० 2445.00, वर्तमान एलपीएस रु० 61.12 दर्शाते हुए पूर्व में निर्गत एनआर बिल की धनराशि रु० 2344.93 का समायोजन दिया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादी के विलिंग इतिहास से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व वर्षों के अनुरूप ही विद्युत का उपभोग किया जा रहा है। अतः परिवादी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा उन्हें अधिक धनराशि का बिल दिया जा रहा है, सराकर बेबुनियाद एवं निराधार है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर सही बिल जारी किए गए हैं। अतः इस मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

(Handwritten signature)

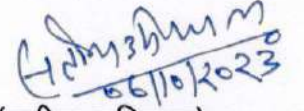
क्रमशः.....02

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


06/10/2023

(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


06/10/2023

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



Phone: 01334-265368

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 142 / 2023

परिवादी :- श्रीमती मनीषा, रामपुर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्त्व

श्री सतीश उनियाल

तकनीकी सदस्य

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मनीषा, रामपुर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०-RM21006128019 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत संयोजन का बिल बहुत अधिक आ रहा है। पहले मीटर में 200-250 यूनिट आती थी परन्तु अब 400 यूनिट आ रही है जिससे वह संतुष्ट नहीं हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके मीटर की जांच कराकर उनका विद्युत बिल सही करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादिनी प्रतिनिधि श्री ब्रह्मदत्त तिवारी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी प्रतिनिधि श्री ब्रह्मदत्त तिवारी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह ने परिवादिनी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुनने के उपरांत सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी को विपक्षी विभाग द्वारा लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। परिवादिनी के बिलिंग इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी को जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत की मात्रा पूर्व के वर्षों में दर्शायी गई विद्युत खपत के अनुरूप ही है। परिवादिनी का यह कथन कि उनका बिल पूर्व में 200 या 250 यूनिट तक आता था, परन्तु अब अत्यधिक 400 यूनिट या उससे अधिक आ रहा है, सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पूर्व के वर्षों-2020-21 तथा 2021-22 के कुछ बिलिंग चक्रों में भी परिवादिनी द्वारा 463, 432, 409, 636, 634, 505, 496, 410 यूनिट की विद्युत खपत की गई है, जो कि वर्तमान विद्युत खपत के अनुरूप है। इस आधार पर परिवादिनी का यह कथन कि उनका बिल अधिक यूनिट का आ रहा है, सरासर बेबुनियाद एवं निराधार है।

इस प्रकरण में जहां तक परिवादिनी द्वारा अपने परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की शुद्धता की जांच कराए जाने की बात कही गई है तो परिवादिनी किसी भी कार्य दिवस में विपक्षी कार्यालय में जाकर चैक मीटर लगाए जाने के लिए आवेदन करने के उपरांत इस संबंध में अपनी शंका का निवारण करा

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर सही बिल जारी किए गए हैं। अतः इस मंच की राय में परिवादिनी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


06/10/2023

(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


06/10/2023

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 144 / 2023

परिवादी :- श्रीमती प्रभा पाल पत्नी श्री राजेश पाल, निकट-बड़ा नाला, पश्चिम अम्बर तालाब, रामनगर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती प्रभा पाल पत्नी श्री राजेश पाल, निकट-बड़ा नाला, पश्चिम अम्बर तालाब, रामनगर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०- RM20140174976 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत मीटर में रीडिंग 35624 कंडब्लूएच है, जबकि मीटर रीडर द्वारा 36515 कंडब्लूएच रीडिंग ली गई है, जो कि गलत है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर बिल सही करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती प्रभा पाल उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादिनी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी को विपक्षी विभाग द्वारा लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। दिनांक 13.09.2023 को एमयू आधार पर आईआर 35234 से एफआर 36515 दर्शाते हुए 1281 यूनिट का बिल जारी किया गया है, जिसे परिवादिनी द्वारा विवादित किया गया है। सुनवाई के समय मौके पर विपक्षी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 14.09.2023 को परिवादिनी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किए जाने पर परिवादिनी के विद्युत मीटर में रीडिंग 35624 पाई गई है। इससे स्पष्ट है कि परिवादिनी को दिनांक 13.09.2023 को जारी बिल में विपक्षी विभाग द्वारा गलत रीडिंग दर्शायी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है।

इस प्रकरण में परिवादिनी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा उपरोक्त अवधि में उनके बिल में अधिक एवं गलत रीडिंग दर्शायी गई है, सही है। विपक्षी विभाग के मीटर रीडर द्वारा वास्तव में सही खपत न दर्शाकर काल्पनिक तौर पर परिवादिनी के उक्त बिल में विद्युत खपत दर्शायी गई है, जो कि गलत है।

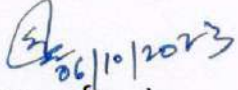
कमश:.....02

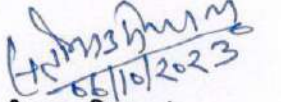
(उ०श०नि०म०, हरिद्वार)

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को जारी विद्युत बिल दिनांक 13.09.2023 को निरस्त करते हुए दिनांक 14.09.2023 को मीटर में दर्ज मीटर रीडिंग 35624 के सापेक्ष विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को जारी विद्युत बिल दिनांक 13.09.2023 को निरस्त करते हुए दिनांक 14.09.2023 को मीटर में दर्ज मीटर रीडिंग 35624 के सापेक्ष विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 145 / 2023

परिवादी :- श्री फतेह मौहम्मद, पता-776/5, आजाद नगर, निकट पुलिया, रामनगर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री फतेह मौहम्मद, पता-776/5, आजाद नगर, निकट पुलिया, रामनगर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०-RM60145124026 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनकी बिलिंग नहीं की जा रही है। उनका बिल जल्द बनवाने तथा बिल को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी इस समस्या का समाधान करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्री फतेह मौहम्मद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 28.06.2023 को एमयू के आधार पर बिल जारी किया गया है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा रसीद संख्या 13519120723डब्ल्यूएस000124 दिनांक 12.07.2023 के माध्यम से किया गया है। परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 03.08.2023 तथा दिनांक 02.09.2023 को एनआर आधार पर जारी किए गए हैं, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। दिनांक 15.09.2023 को एमयू आधार पर 114 यूनिट का बिल जारी करते हुए वर्तमान बिल धनराशि रु० 742.28, एलपीएस रु० 4.56, पिछला बकाये की धनराशि रु० 711.00 (कुल रु० 1457.84) दर्शाया गया है जिसमें पिछले एनआर बिलों की धनराशि रु० 521.62 का समायोजन देते हुए रु० 937.00 का बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी को लगातार रीडिंग के बिल जारी किए जा रहे हैं तथा परिवादी द्वारा बिलों का भुगतान भी किया जा रहा है। अतः परिवादी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा बिल जारी नहीं किए जा रहे हैं, कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(Signature)

क्रमशः.....02

इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं और परिवादी द्वारा उनका भुगतान भी किया जा रहा है। इस प्रकरण में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी विद्युत बिलों में कोई भी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

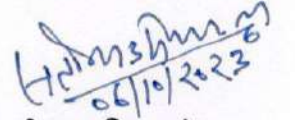
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


06/10/2023

(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


06/10/2023

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrtharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 153 / 2023

परिवादी :- श्री दीपक धीमान, मतलापुर, माधोपुर रोड़, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-06.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दीपक धीमान, मतलापुर, माधोपुर रोड़ रुड़की का कनेक्शन नं०- RM62806882265 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा अपने नाम से विद्युत संयोजन लिया गया है, परन्तु उन्हें बिल श्रीमती साहिब कौर के नाम से दिया जा रहा है तथा उनके द्वारा संयोजन 03 किलोवाट भार के लिए आवेदन किया गया था, जबकि बिल में 04 किलोवाट भार दर्शाया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें सही नाम व विद्युत भार का बिल जारी करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अन्तर्गत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्री दीपक धीमान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि संयोजन संख्या RM62806882265 परिवादी श्री दीपक धीमान के नाम से गतिमान है तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिवादी द्वारा आवेदित भार 03 किलोवाट ही स्वीकृत है। जबकि परिवादी द्वारा, संयोजन संख्या RM22806784801 जो कि श्रीमती साहिब कौर के नाम से 04 किलोवाट विद्युत भार में गतिमान है, को अपना समझकर यह परिवाद दर्ज किया गया है जो कि सरासर आधारहीन एवं बेबुनियाद है।

इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के नाम से संयोजन संख्या RM62806882265, आवेदित भार 03 किलोवाट स्वीकृत किया गया है, जबकि संयोजन संख्या RM22806784801 जो कि श्रीमती साहिब कौर के नाम से 04 किलोवाट विद्युत भार पर स्वीकृत है। परिवाद पत्र में परिवादी का यह कथन कि संयोजन संख्या RM22806784801 जो कि 04 किलोवाट भार में स्वीकृत है को अपना बताया जाना, सरासर बेबुनियाद एवं निराधार है। हालांकि इस प्रकरण में यह बात सत्य है परिवादी को श्रीमती साहिब कौर के नाम से जारी विद्युत संयोजन का बिल प्राप्त हुआ है, जिसे परिवादी द्वारा स्वयं का मानना गलत है।

Handwritten signature

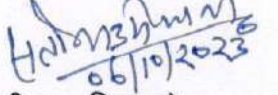
क्रमशः.....02

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस मंच की राय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


06/10/2023
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


06/10/2023
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



Phone: 01334-265368

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 124/2023

परिवादी :- श्री हरी नयाल, सुभाष नगर, ब्लाक-306/डी0, सफिदपुर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-25.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री हरी नयाल, सुभाष नगर, ब्लाक-306/डी0, सफिदपुर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०-RM11117117999 के संदर्भ में कथन किया गया है कि विभाग द्वारा उनका मीटर दिनांक 03.09.2023 को बदला गया था, परन्तु अभी भी उनका बिल आईडीएफ आधार पर भेजा जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल रीडिंग के आधार पर संशोधित करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री सन्दीप नयाल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 10.05.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 11.07.2023 को एनए के आधार पर 619 यूनिट का बिल जारी किया गया है। दिनांक 10.08.2023 को आईडीएफ आधार पर कुल 738 यूनिट का बिल जारी किया गया है जो कि परिवादी द्वारा पूर्व में वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत आधार पर जारी किया गया है, जिसमें आईडीएफ आधार पर जारी बिल से पूर्व एनआर बिल का समायोजन दिया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादी के परिसर पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर को बदल दिया गया है तथा नये मीटर द्वारा दर्ज विद्युत खपत को दिनांक 09.09.2023 के बिल में दर्शाया गया है।

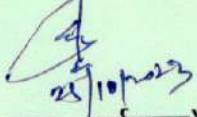
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी बिल नियमानुसार सही हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

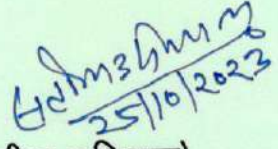
(Signature)

क्रमशः.....02

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्त्व)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



Phone: 01334-265368

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

E-Mail- egrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 128/2023

परिवादी :- श्री अब्दुल वाहिद पुत्र ईलाहिबक्श, शाहपुर, सालापुर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-25.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अब्दुल वाहिद पुत्र ईलाहिबक्श, शाहपुर, सालापुर, रुड़की का कनेक्शन नं०-RM21106026949 के संदर्भ में कथन किया है कि विद्युत विभाग द्वारा उनको त्रुटिपूर्ण/खराब बिल दिए जा रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करा दिया जाए। सही रीडिंग के आधार पर बिल संशोधित कर बनवाए जाने का अनुरोध किया है।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्री अब्दुल वाहिद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

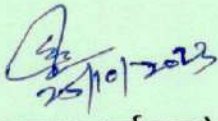
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 15.06.2022 तक लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 15.08.2022 से दिनांक 08.08.2023 तक लगातार आरडीएफ के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के परिसर पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 17.08.2023 को बदला गया है। तदपश्चात् दिनांक 06.09.2023 को आरडीएफ/एमसी आधार पर बिल जारी किया गया है। परिवादी द्वारा उपरोक्त आरडीएफ के आधार पर निर्गत बिलों को विवादित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 15.06.2022 तक लगातार वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर एमयू के बिल जारी किए गए, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा समय पर किया जाता रहा है। अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि परिवादी मीटर के दोषपूर्ण हो जाने के कारण दिनांक 15.08.2022 से दिनांक 08.08.2023 के मध्य आरडीएफ आधार पर तथा दिनांक 17.08.2023 को उक्त दोषपूर्ण मीटर बदल दिए जाने के उपरांत दिनांक 06.09.2023 को आरडीएफ/एमसी आधार पर बिल जारी किया गया है, जो कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों के विपरीत है। फलस्वरूप आरडीएफ आधार पर जारी समस्त विद्युत बिलों को संशोधित किया जाना उचित होगा।

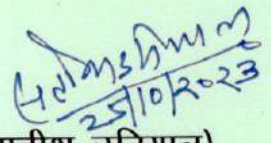
क्रमशः.....02

अतः इस मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 15.08.2022 से दिनांक 17.08.2023 की अवधि में जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए उन्हें पूर्व के एमयू आधार पर, तीन बिलिंग साइकल की औसत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 15.08.2022 से दिनांक 17.08.2023 की अवधि में जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए उन्हें पूर्व के एमयू आधार पर तीन बिलिंग साइकल की औसत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 136 / 2023

परिवादी :- श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, मकान नं० 513/6, गणेश विहार कालोनी, शेखपुरी, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-25.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, मकान नं० 513/6, गणेश विहार कालोनी, शेखपुरी, रुड़की का कनेक्शन नं०-RM11117175133 के संदर्भ में कथन किया है कि यह कनेक्शन परिवादी सुरेन्द्र कुमार के पिता श्री महेन्द्र सिंह के नाम पर है जिसे वह अपने नाम पर करवाना चाहता है, जिस हेतु उनके द्वारा सभी आवश्यक अभिलेख विद्युत विभाग के कार्यालय में जमा किए गए हैं। कथन किया गया है कि उनका बिल अधिक आ रहा है। पिछले तीन माह से उनका बिल ₹ 14000.00 से 39000.00 पर पहुंच गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन उनके नाम पर एवं बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष की सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 18.05.2023 तक लगातार एमयू के बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 03.08.2023 एवं 26.08.2023 को एनआर/एनए के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व के वर्षों के अनुरूप ही विद्युत का उपभोग किया जा रही है, परंतु परिवादी द्वारा दिनांक 25.02.2022 के उपरांत किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा अंतिम भुगतान ₹ 26700.00 का दिनांक 25.02.2022 को किया गया है। बिलिंग हिस्ट्री से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी बिलों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

क्रमशः.....02

4

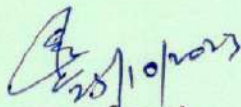
Handwritten signature

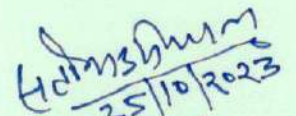
अतः परिवादी को संदर्भित विद्युत संयोजन के सापेक्ष जारी बिलों का सम्पूर्ण भुगतान किए गए जाने की आवश्यकता है तथा परिवादी द्वारा सम्पूर्ण बकाया/बिल का भुगतान किए जाने एवं संयोजन को परिवादी के नाम स्थानांतरित किए जाने हेतु निर्धारित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा इस संदर्भ में यथोचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस मंच की राय में परिवादी को किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 146/2023

परिवादी :- श्रीमती मनोरमा पंत पत्नी श्री मनसा राम, निकट-सरकारी बैंक, पनियाला रोड, रामनगर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-25.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मनोरमा पंत पत्नी श्री मनसा राम, निकट-सरकारी बैंक, पनियाला रोड, रामनगर, रुड़की का कनेक्शन नं०-RM61117190198 के संदर्भ में कथन किया है कि विद्युत संयोजन का बिल बहुत अधिक आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन का बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री सुमित सैनी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 22.06.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 03.08.2023 को एनआर तथा दिनांक 26.08.2023 को एमयू के आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 26.08.2023 को निर्गत बिल में दो माह की विद्युत खपत 2319 यूनिट में पूर्व में जारी एनआर बिल का समायोजन दिया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा पूर्व में भी एक माह में 1241 यूनिट विद्युत की खपत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि दिनांक 28.08.2023 को परिवादिनी के परिसर पर स्थापित पुराने मीटर को बदला गया। उस समय मीटर पर 22928 रीडिंग दर्ज पाई गई, जबकि दिनांक 26.08.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग 22820 दर्ज की गई है, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को जारी बिल में मीटर रीडिंग 22820 सही दर्शायी गई है, जो कि मीटर बदलने के समय पाई गई मीटर रीडिंग 22928 से कम है।

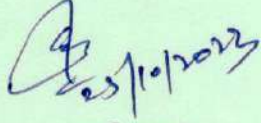
क्रमशः.....02

अतः इस आधार पर परिवादिनी का यह कथन कि उनका बिल बहुत अधिक आया है, सरासर बेबुनियाद एवं निराधार है।

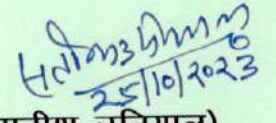
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस मंच की राय में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य



(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

Phone: 01334-265368

परिवाद सं० 148 / 2023

परिवादी :- श्रीमती उर्रुसा पत्नी श्री सलीम अहमद, 219, मौहल्ला-सती, आई०एम०एल०आई० रोड, कॉसर मैडिकल स्टोर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-25.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती उर्रुसा पत्नी श्री सलीम अहमद, 219, मौहल्ला-सती, आई०एम०एल०आई० रोड, कॉसर मैडिकल स्टोर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०- RM20152765431 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत संयोजन का बिल रू० 5610.00 आया है जबकि उनके घर पर केवल तीन पंखे, तीन लाईट एवं दो फ्रिज चलते हैं। इस हिसाब से उनकी बहुत अधिक रीडिंग आ रही है। विभाग द्वारा उनके मीटर से रीडिंग सही नहीं ली जा रही है तथा उन्हें समय से घर पर बिल भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल वास्तविक रीडिंग के आधार पर सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री मौहम्मद आजम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी प्रतिनिधि द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादिनी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 11.09.2023 तक लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 12.08.2023 को जारी बिल धनराशि रू० 5610.00 में पूर्व बिल का बकाया रू० 3181.00 तथा वर्तमान एलपीएस रू० 79.52 शामिल है, क्योंकि परिवादिनी द्वारा दिनांक 17.07.2023 को जारी बिल की धनराशि रू० 3181.00 का भुगतान नहीं किया गया है। परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा वर्तमान में खपत की जा रही विद्युत की मात्रा पिछले दो वर्षों की खपत के अनुरूप ही है।

उपरोक्त आधार पर परिवादिनी द्वारा यह कथन कि उन्हें अधिक विद्युत खपत का बिल विपक्षी विभाग द्वारा दिया जा रहा है, सरासर बेबुनियाद एवं निराधार है।

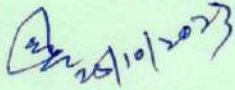
Handwritten signature

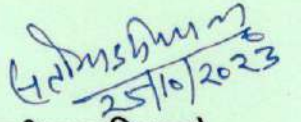
क्रमशः.....02

जहां तक परिवादिनी द्वारा घर पर विद्युत बिल प्राप्त न होने का कथन किया है तो इस संबंध में विपक्षी विभाग यह सुनिश्चित करे कि वह भविष्य में परिवादिनी को बिल सही समय पर उपलब्ध कराए तथा यह भी सुनिश्चित करे कि परिवादिनी का मोबाइल नंबर 9634167374 उनके अभिलेखों में दर्ज कराए जिससे बिल की सूचना परिवादिनी को मोबाइल पर भी उपलब्ध हो सके और वह समय पर अपने बिल जमा कर सके।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को बिल सही समय पर उपलब्ध कराए तथा परिवादिनी का मोबाइल नंबर 9634167374 उनके अभिलेखों में दर्ज करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

Phone: 01334-265368

परिवाद सं० 147 / 2023

परिवादी :- श्री मौहम्मद यासीन पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी-ग्राम-रामपुर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-26.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मौहम्मद यासीन पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी-ग्राम-रामपुर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०-RM2006036347 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत संयोजन का बिल बहुत अधिक आ रहा है। माह जुलाई 2023 में बिल रु० 1570.00 का आया था, परन्तु विद्युत विभाग द्वारा माह अगस्त 2023 को रु० 5476.00 का उन्हें बिल भेजा गया है जिससे वह संतुष्ट नहीं हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन का बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्री मौहम्मद यासीन उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 27.08.2023 तक एमयू के बिल जारी किए गए हैं। परिवादी को दिनांक 27.08.2023 को एमयू आधार पर 1968 यूनिट का बिल जारी किया गया है जिसको परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 03.03.2023 को एनआर आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 19.04.2023 को एमयू आधार पर लगभग चार माह में 1069 यूनिट की विद्युत खपत दर्शाते हुए बिल जारी किया गया है। दिनांक 30.06.2023 को एमयू आधार पर दो माह 11 दिन की विद्युत खपत 128 यूनिट दर्शाते हुए बिल जारी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि दिनांक 28.12.2022 से दिनांक 30.06.2023 के मध्य परिवादी द्वारा प्रति माह लगभग 200 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। दिनांक 28.07.2023 को आईआर-21211 तथा एफआर-22972 दर्शाते हुए 736 यूनिट का सिलिंग आधार पर बिल भेजा गया, जबकि परिवादी द्वारा

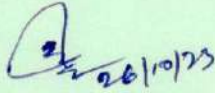
क्रमशः.....02

1761 (22972-21211) यूनिट विद्युत खपत की गई। दिनांक 27.08.2023 को आईआर-21083 तथा एफआर-23051 दर्शाते हुए 1968 (23051-21083) यूनिट का बिल जारी किया गया है, जबकि परिवादी को दिनांक 28.07.2023 को आईआर-21083 पर 736 यूनिट का बिल पूर्व में ही जारी कर दिया गया है। फलस्वरूप दिनांक 27.08.2023 को जारी बिल में आईआर-21819 (21083+736) तथा एफआर-23051 के आधार पर 1232 (23081-21819) यूनिट का बिल बनाया जाना था। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं।

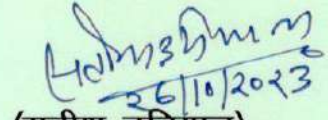
अतः मंच की राय में परिवादी को दिनांक 03.03.2023, दिनांक 19.04.2023, दिनांक 30.06.2023, दिनांक 28.07.2023 एवं दिनांक 27.08.2023 को जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 03.03.2023 को जारी किए गए बिल में दर्शायी गई आईआर-20014 से दिनांक 27.08.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई एफआर-23051 के अनुसार मासिक औसत आधार पर बिल संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 03.03.2023, दिनांक 19.04.2023, दिनांक 30.06.2023, दिनांक 28.07.2023 एवं दिनांक 27.08.2023 को जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 03.03.2023 को जारी किए गए बिल में दर्शायी गई आईआर-20014 से दिनांक 27.08.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई एफआर-23051 के अनुसार मासिक औसत आधार पर बिल संशोधित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।



(जी० एस० धर्मसत्तार)
तकनीकी सदस्य



(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 150 / 2023

परिवादी :- श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह, सर्वज्ञ रोड, शिवपुरम, रहीमपुर, पनियाला रोड, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-26.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह, सर्वज्ञ रोड, शिवपुरम, रहीमपुर, पनियाला रोड, रुड़की द्वारा अपने कनेक्शन नं०-RM11117173802 के संदर्भ में कथन किया गया है कि पिछले तीन-चार महिनों से वह अपना बिल ऑनलाइन जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन बिल जमा करने पर "आपका बिल भुगतान स्थिति विफल हो गया" का संदेश दिया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि ऑनलाइन बिल जमा करने में आ रही मेरी इस समस्या का समाधान करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री सुमित कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच को उक्त समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

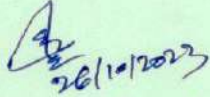
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा लगातार एमयू के बिल जारी किए जा रहे हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 13.01.2019 से दिनांक 16.05.2023 तक जारी सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। परिवादी के अनुसार पिछले तीन-चार महिनों से उनके द्वारा ऑनलाइन बिल जमा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तथा बिल ऑनलाइन जमा करने पर ऑनलाइन सिस्टम द्वारा उन्हें "आपका बिल भुगतान स्थिति विफल हो गया" का संदेश प्राप्त हो रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा जनवरी 2019 से बिलों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा रहा है, परंतु दिनांक 20.07.2023, दिनांक 17.08.2023 तथा दिनांक 14.09.2023 को जारी तीन बिलों का भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक 15.09.2023 को ऑफलाइन माध्यम द्वारा विपक्षी कार्यालय में किया गया है, क्योंकि परिवादी कथनानुसार उक्त तीन बिलों का ऑनलाइन भुगतान संभव नहीं हो पाया।

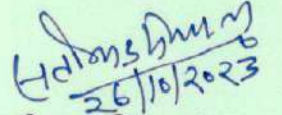
Handwritten signature क्रमशः.....02

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी की ऑनलाइन भुगतान में आ रही समस्या की शिकायत सही प्रतीत होती है। अतः मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की इस समस्या का समाधान हेतु ऑनलाइन बिल भुगतान से संबंधित सम्पूर्ण ऑनलाइन सिस्टम को सही दशा में रखे जाने की आवश्यकता है, ताकी परिवादी आदि को ऑनलाइन बिल भुगतान करने की सुविधा का लाभ मिलता रहे।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह अपने ऑनलाइन बिल भुगतान से संबंधित सम्पूर्ण ऑनलाइन सिस्टम को सही दशा में रखते हुए परिवादी की उक्त समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे। इस निर्णय की एक प्रति विपक्षी के कांवली रोड़ देहरादून वी०सी० गब्बर सिंह ऊर्जा भवन स्थित अधीक्षण अभियंता, आईटी सेल को भी प्रेषित की जाए।


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 **E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com**

परिवाद सं० 151/2023

परिवादी :- श्रीमती शशी देवी पत्नी श्री सुरजमणी, राजबिहार कालोनी, ढढेरा, जियो टावर के पास, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-26.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती शशी देवी पत्नी श्री सुरजमणी, राजबिहार कालोनी, ढढेरा, जियो टावर के पास, रुड़की द्वारा कथन किया गया है कि उनका मकान का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके लिए उन्होंने बिजली का कनेक्शन अप्लाई किया था और खम्बे और मीटर सहित पूरा इस्टीमेट की धनराशि रु० 14200.00 दिनांक 09.08.2023 को जमा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक उनका मीटर नहीं लगाया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत संयोजन अविलंब जारी कर दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती शशी उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु आवश्यक शुल्क रसीद संख्या- 3451909082309002 के माध्यम से दिनांक 09.08.2023 को धनराशि रु० 14200.00 जमा कराई गई है, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को उक्त विद्युत संयोजन अभी तक जारी नहीं किया गया है। मंच द्वारा सुनवाई के समय मौके पर ही विपक्षी विभाग को एक सप्ताह के भीतर परिवादिनी को उक्त संयोजन जारी करने के आदेश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा मंच के आदेश पर परिवादिनी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.09.2023 को विद्युत संयोजन जारी कर दिया गया है।

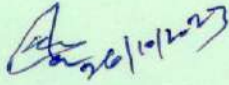
चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिया गया है, जिससे परिवादिनी भी संतुष्ट है।

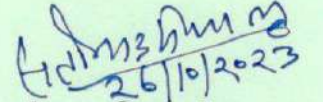
क्रमशः.....02

अतः मंच की राय में परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 **E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com**

परिवाद सं० 152 / 2023

परिवादी :- श्रीमती रूपा सैनी पत्नी श्री बालेस सैनी, सलेमपुर, निकट राईस मिल, रूड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-26.10.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रूपा सैनी पत्नी श्री बालेस सैनी, सलेमपुर, निकट राईस मिल, रूड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०- RM22806901685 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल आईडीएफ में आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रूड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रूड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री बालेस उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी प्रतिनिधि द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने परिवादी की उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 07.06.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 16.07.2023 तथा दिनांक 10.08.2023 को आरडीएफ आधार पर एवं दिनांक 12.09.2023 को एमयू के आधार पर बिल जारी किया गया है जिन्हें परिवादिनी द्वारा विवादित किया गया है। परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी को दिनांक 07.06.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग आईआर-शून्य तथा एफआर-45 दर्शाते हुए 45 यूनिट का बिल जारी किया गया है। इसके बाद दिनांक 16.07.2023 एवं दिनांक 10.08.2023 को आरडीएफ आधार पर मीटर रीडिंग आईआर-45 तथा एफआर-45 दर्शाते हुए क्रमशः 19 तथा 12 यूनिट के बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 12.09.2023 को जारी बिल में आईआर-शून्य तथा एफआर-225 दर्शाते हुए 225 यूनिट का बिल जारी किया गया है। जबकि उक्त बिल में पूर्व में निर्गत तीन बिलों में दर्शाई गई विद्युत खपत-76 यूनिट भी शामिल है।

सुनवाई के समय मंच के आदेश पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत बताया गया कि परिवादिनी के विद्युत मीटर पर रीडिंग 225 कंडब्लूएच दर्ज है।

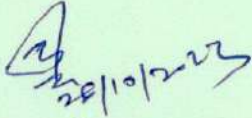
Handwritten signature

क्रमशः.....02

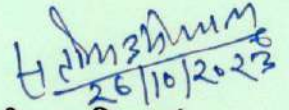
अतः मंच की राय में परिवादिनी को दिनांक 07.06.2023, दिनांक 16.07.2023, दिनांक 10.08.2023 एवं दिनांक 12.09.2023 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 07.06.2023 के बिल में आईआर-शून्य तथा दिनांक 12.09.2023 के बिल में एफआर-225 दर्शाते हुए कुल 225 यूनिट का विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 07.06.2023, दिनांक 16.07.2023, दिनांक 10.08.2023 एवं दिनांक 12.09.2023 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 07.06.2023 के बिल में आईआर-शून्य तथा दिनांक 12.09.2023 के बिल में एफआर-225 दर्शाते हुए कुल 225 यूनिट का विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।



(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य



(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।